कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 26/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-निजामाबादः- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 15.01.25 को वादिनी/पीड़िता द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी अभियुक्त दीपक पुत्र सन्तलाल निवासी मलहज थाना शाहगंज जिला जौनपुर द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और अब उसने शादी दूसरी जगह तय कर लिया है। वादिनी द्वारा जब अभियुक्त से बात करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त के परिवार पीड़िता व उसकी मां को गाली व जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 13/2025 धारा 376,504,506 IPC बनाम 1.दीपक पुत्र संतलाल 2.संतलाल 3.इन्द्रावती पत्नी संतलाल 4.संगीता निवासीगण मलहज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 22.01.2025 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र संतलाल निवासी मलहज थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र 27 वर्ष को खपडा गाँव चौराहे के पास से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना-फूलपुरः- अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 21.01.2025 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति दीपक यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को अहिरीपुर मोड के पास से समय करीब 23.07 बजे एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. दीपक यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01.मु0अ0सं0 38/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।